विजिल मैकेनिज्म / व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी

1. पृष्ठभूमि

आईएफसीआई, जो भारत का प्रथम वित्तीय संस्थान है, ने विभिन्न स्रोतों जैसे कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), वित्त मंत्रालय, कर्मचारियों और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का निपटान करने के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार किया हुआ है। आईएफसीआई का सतर्कता विभाग ऐसे मुद्दों का प्रभावी तरीके से निपटान करता है। तथापि, कम्पनी अधिनियम, **2013** की धारा **177(9)** एवं **(10)** में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए विजिल मैकेनिज्म की स्थापना करे ताकि वे यथानिर्धारित रूप में प्रामाणिक चिन्ताओं के बारे में रिपोर्ट कर सकें ।

इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, **2015** के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी अपने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक विजिल मैकेनिज्म की स्थापना करेगी जिससे कि किसी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद फ्राड, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटन अथवा अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटन का संदेह अथवा आईएफसीआई के निदेशक बोर्ड व कर्मचारियों हेतु कम्पनी की आचार संहिता तथा नैतिकता सम्बन्धी पॉलिसी के उल्लंघन के बारे में वाजिब चिन्ताओं को रिपोर्ट कर सकें । इस मैकेनिज्म में किसी भी चिन्ता के बारे में रिपोर्ट करने हेतु मैकेनिज्म का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

पब्लिक इन्टरेस्ट डिस्कलॉजर एण्ड प्रॉटेक्शन ऑफ इन्फोरमर्स (पीआईडीपीआई) के नाम से सामान्य तौर पर ज्ञात दिनांक 21 अप्रैल, 2004 के संकल्प संख्या 89 में संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने सरकारी संस्थानों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भी सम्बन्धित सरकारी संस्थान के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध पीआईडीपीआई के अधीन शिकायतों का निपटान करने के लिए मनोनीत प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया है। भारत सरकार ने दिनांक 9 मई, 2014 को व्हिसिल ब्लॉअर प्रॉटेक्शन एक्ट, 2011 भी पारित किया है ।

सरकारी कम्पनी के रूप में आईएफसीआई से भी यह अपेक्षित है कि यह अपने यहां एक विजिल मैकेनिज्म की स्थापना करे और इस भांति अपने निदेशकों, कर्मचारियों अथवा किसी गैर सरकारी संगठन समेत अन्य किसी व्यक्ति के लिए व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी तैयार करे ताकि भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपपयोग के कृत्यों की रिपोर्ट कर सकें । तदनुसार, यह व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी तैयार की गई है।

2. उद्देश्य

इस पॉलिसी का लक्ष्य एक ऐसे मैकेनिज्म की स्थापना करना है जिसके अन्तर्गत किसी कर्मचारी/लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्ट कृत्य अथवा जानबूझ कर दुरुपयोग करने अथवा विवेक का जानबूझ कर दुरुपयोग करने जिसके कारण आईएफसीआई को स्पष्ट हानि हुई है अथवा लोक सेवक या अन्य किसी तीसरे पक्षकार को स्पष्ट गलत लाभ हुआ है, किसी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद फ्राड, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटन अथवा अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटन का संदेह अथवा आईएफसीआई के निदेशक बोर्ड व कर्मचारियों हेतु कम्पनी की आचार संहिता तथा नैतिकता सम्बन्धी पॉलिसी के उल्लंघन के बारे में वाजिब चिन्ताओं की रिपोर्ट सम्बन्धी किसी आरोप के बारे में प्रकटीकरण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त करने तथा ऐसे

प्रकटीकरण के सम्बन्ध में जांच करने अथवा जांच करवाने अथवा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति को पीड़ित किए जाने की संभावना के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध करना है, बशर्ते कि ऐसा प्रकटीकरण अथवा शिकायत नेकनीयती एवं उचित समय के अंदर की गई हो ।

3. प्रकटीकरण कौन कर सकता है

व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी के अंतर्गत, आईएफसीआई के बोर्ड में और आईएफसीआई लि. में कोई भी निदेशक, आईएफसीआई के कर्मचारी या गैर-सरकारी संगठनों सहित अन्य व्यक्ति पीआईडीपीआई के अंतर्गत प्रकटीकरण कर सकता है।

4. व्हिसिल ब्लॉअर को सुरक्षा

इस व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी के अंतर्गत, आईएफसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी के अंतर्गत किसी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद फ्राड, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटन अथवा अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटन का संदेह अथवा आईएफसीआई के निदेशक बोर्ड व कर्मचारियों हेतु कम्पनी की आचार संहिता तथा नैतिकता सम्बन्धी पॉलिसी के उल्लंघन के बारे में वाजिब चिन्ताओं की रिपोर्ट सम्बन्धी सुरक्षित प्रकटीकरण करने के लिए अथवा जांच में सहयोग करने के लिए व्यक्ति को किसी कार्यवाही अथवा अन्य प्रकार से इसलिए पीड़ित न किया जाए कि उसने आईएफसीआई में सिर्फ किसी भ्रष्ट कृत्य अथवा शक्तियों या विवेक के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चेतावनी दी है। व्हिसिल ब्लॉअर की पहचान तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि स्वयं शिकायतकर्ता ने शिकायत के ब्योरे को सार्वजनिक न किया हो अथवा किसी अन्य अधिकारी अथवा प्राधिकारी को अपनी पहचान नहीं बताई हो ।

व्हिसिल ब्लॉअर के रूप में चेतावनी देने वाला कर्मचारी यदि ऐसी किसी कार्रवाई से आहत है कि उसे इस वजह से पीड़ित किया जा रहा है कि उसने शिकायत अथवा प्रकटीकरण किया है, तो वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्ध निदेशक अथवा लेखा-परीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो, के समक्ष मामले में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है जो बाद में इस पर उपयुक्त कार्रवाई करेगा । इसके बावजूद यदि आईएफसीआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी की यह राय है कि शिकायतर्ता अथवा गवाह को संरक्षण की आवश्यकता है, तो वह मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ उठा सकता है ।

यदि शिकायत को तंगकारी अथवा भ्रामक पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ कर सकते हैं।

5. अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटन या अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटीकरण के संदेह की रिपोर्ट करना

किसी भी व्यक्ति जिसे अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटन या अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटीकरण करने के संदेह हो, वह पॉलिसी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस घटना की रिपोर्ट कर सकता है ।

सतर्कता विभाग ऐसी सूचना की प्राप्ति के बारे में, संदेहास्पद व्यक्ति के विरुद्ध जांच प्रारम्भ करने तथा ऐसी जांच के निर्णयों को निदेशक बोर्ड को सूचित करेगा ।

6. प्रकटीकरण प्रक्रिया

आईएफसीआई का यह दायित्व होगा कि वह प्रकटीकरण करने वाले निदेशकों, कर्मचारी, व्यक्ति अथवा गैर-सरकारी संगठन की पहचान गुप्त रखे । अतः, संरक्षित प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित पहलुओं का पालन करना होगाः

(i) शिकायत बंद/सुरक्षित लिफाफे में की गई हो ।

(ii) लिफाफा मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईएफसीआई लिमिटेड, आईएफसीआई टॉवर, 61-नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019 को सम्बोधित किया गया हो, और उस पर मोटे अक्षरों में "लोक हित प्रकटीकरण के अंतर्गत शिकायत" लिखा गया हो । यदि लिफाफे पर मोटे अक्षरों में नहीं लिखा गया है अथवा उसे बंद नहीं किया गया है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखना संभव नहीं हो सकेगा तथा ऐसी शिकायत का संगठन की सामान्य शिकायत निपटान नीति के अनुसार निपटान किया जाएगा । शिकायतकर्ता अपना नाम अथवा पता शिकायत के प्रारम्भ अथवा अंत में अथवा इसके साथ संलग्न किए गए पत्र में दे।

(iii) अज्ञात / छद्मनाम वाली शिकायतों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

(iv) शिकायत का ब्योरा इस ढंग से लिखा जाए कि इससे उसकी पहचान के बारे में कोई संकेत प्रकट न हो । तथापि, शिकायत का ब्योरा विशिष्ट एवं सत्यापनीय हो ।

(v) व्यक्ति की पहचान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, आईएफसीआई कोई पावती जारी नहीं करेगा । व्हिसिल ब्लॉअरों को सूचित किया जाता है कि वह अपने हित में आईएफसीआई के साथ कोई पत्र-व्यवहार न करें । आईएफसीआई विश्वास दिलाता है कि तथ्यों के सत्यापित किए जा सकने की स्थिति के अधीन, आईएफसीआई पॉलिसी में प्रावधान किए गए अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा । यदि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित होगा तो आईएफसीआई शिकायतकर्ता के साथ सम्पर्क करेगा ।

7. व्हिसिल ब्लॉअर शिकायतों की निपटान प्रक्रिया

"लोक हित प्रकटीकरण के अंतर्गत शिकायत" लिखे सभी लिफाफों को मनोनीत प्राधिकरण की उपस्थिति में खोला जाएगा । शिकायतकर्ता को पत्र लिखकर या किसी अन्य माध्यम से उसकी पहचान की पुष्टी की जाएगी जिसके पश्चात् शिकायतकर्ता की पहचान शिकायत के मुख्य भाग से हटा दी जाएगी तथा मनोनीत प्राधिकरण को डमी शिकायत दी जाएगी । मूल शिकायत को ताले में बंद करके रखा जाएगा और बिना मनोनीत प्राधिकरण की अनुमति के इसे कोई नहीं छुएगा । मनोनीत प्राधिकरण प्रशासनिक मामलों तथा अन्य सम्बन्धित मुद्दों से सम्बन्धित शिकायतों पर तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि ये गंभीर प्रकृति के नहीं होंगे। अन्य मामलों में मनोनीत प्राधिकरण निर्णय करेगा कि क्या मामले में आगे जांच की आवश्यकता है तथा इस बारे में किसी भी पक्ष से रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है जिसे दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना होगा । रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद मनोनीत प्राधिकरण इसे अपनी संस्तुतियों के साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग को आगामी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगा । शिकायत पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने सम्बन्धी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् मनोनीत प्राधिकरण आनुशासनिक प्राधिकरण के साथ अनुवर्तन करके आगामी कार्रवाई के अनुपालन की पुष्टि करेगा एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई विलम्ब है तो इस बारे में

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सूचित करेगा । मनोनीत प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी कारणवश व्हिसिल ब्लॉअर की पहचान ज्ञात हो जाने के कारण उसके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो । यदि शिकायतकर्ता उसके जीवन को किसी खतरे की आशंका के बारे में रिपोर्ट करता है तथा संरक्षण की इच्छा रखता है, तो मनोनीत प्राधिकरण उसकी जांच-पड़ताल करके व्हिसिल ब्लॉअरों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए अपनी संस्तुतियां केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजेगा ।

8. विजिल/व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी में संशोधन

आईएफसीआई के पास इस पॉलिसी में किसी भी समय बिना कारण बताए समग्र रूप से अथवा आंशिक तौर पर संशोधित अथवा परिवर्द्धित करने का अधिकार सुरक्षित है।

9. क्रियान्वयन का दायित्व

आईएफसीआई में विजिल मैकेनिज्म के निरीक्षण का उत्तरदायित्व आईएफसीआई के निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति का होगा ।

10. वेबसाइट पर प्रचार

इस व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी को वेबसाइट पर डाला जाएगा एवं आईएफसीआई के कर्मचारियों को इसकी जानकारी देने के लिए इन्ट्रानेट के माध्यम से परिचालित किया जाएगा ।

जनता और कर्मचारियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे पीआईडीपीआई के बारे में भारत सरकार के संकल्प इसके संशोधनों और आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट http://www.cvc.nic.in देखें ।

****